परिवाद संख्या 275/2017
सुखलाल बनाम सेवाराम आदि
अंतर्गत धारा 323, 452, 354, 504 व 506 भा.द.सं.
व धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी एक्ट,

UPPB010020702017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।
पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

परिवाद सं0–275/2017

सुखलाल आयु करीब 48 वर्ष पुत्र सालिक राम निवासी ग्राम हिमकरपुर थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत। **(मृत्यु)**

.....परिवादी।

बनाम

1. सेवाराम आयु करीब 55 वर्ष पुत्र गंगाराम **(मृत्यु)**
2. अन्नू आयु करीब 30 वर्ष पुत्र सेवाराम
3. अरूण आयु करीब 25 वर्ष पुत्र सेवाराम

समस्त निवासीगण ग्राम हिमकरपुर, थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत।

.....विपक्षी।

अं0धारा–452, 354, 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 व
धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी एक्ट,
थाना– जहानाबाद, जिला पीलीभीत।

निर्णय

(1) प्रस्तुत परिवाद परिवादी सुखलाल द्वारा अभियुक्तगण सेवाराम, अन्नू व अरूण के विरूद्ध विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सेवाराम, अन्नू व अरूण को अंतर्गत धारा 452, 354, 323, 504 व 506 भा.द.सं. व धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी एक्ट में विचारण हेतु तलब किया गया। दौरान विचारण आरोप विरचित किये जाने से पूर्व अभियुक्त सेवाराम की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध मामले की कार्यवाही उपशमित की गयी तथा इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण अन्नू व अरूण के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है।

(2) संक्षेप मे परिवाद कथानक इस प्रकार है कि वह ग्राम हिमकरपुर थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत का निवासी है तथा वह अनुसूचित जाति धोबी जाति का व्यक्ति है। उसके घर के सामने गांव का एक मुख्य रास्ता है, जिसमें वह व उसके परिवार के लोग आते जाते है। उसके गांव के ही सेवाराम

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.07 16:11:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुत्र गंगाराम, अन्नू, अरूण पुत्रगण सेवाराम जो कि उपरोक्त रास्ते पर अवैधानिक रूप से पक्का लिन्टर डलवाकर कमरा व लैट्रीन का निर्माण कर रास्ता बंद करना चाहते है तथा पूर्व में कई बार रास्ता बंद करने का प्रयास भी कर चुके है, जिसकी शिकायत उसके द्वारा गांव के प्रधान व संबंधित थाना पुलिस व पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से की गयी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच कर उक्त लोगों द्वारा जांच कर उक्त लोगों को उस जगह पर कब्जा न करने के निर्देश भी दिये गये थे। दिनांक 17.11.2016 समय करीब 11 बजे की घटना है कि वह अपने घर पर मौजूद था, तभी उपरोक्त मुल्जिमान एक राय होकर एकाएक उपरोक्त रास्ते पर रात में ही ईटे, रेता, बजरी, मंगाकर अवैध निर्माण करके शौचालय बनवाने लगे, जिससे विशेष रूप से उसके घर का आने जाने का रास्ता बंद हो रहा था। उसने निर्माण करने से मना किया, तभी उपरोक्त लोग एक राय होकर उसे जान से मारने की नियत से फावड़ा व लाठी डंडे लेकर मारपीट व गाली गलौज पर आमादा फसाद हो गये। वह झगड़े से जाने बचाकर अपने घर के अंदर भाग कर चला आया। उपरोक्त सभी मुल्जिमान उसके घर के अंदर घुस आये और जातिसूचक गालियां देते हुए बोले कि साले धुबट्टे तेरी इतनी हिम्मत की तू हम लोगों को लैट्रीन बनाने से रोक रहा है। सभी मुल्जिमान मारपीट करने लगे। उसकी पत्नी उसको बचाने आयी, तो उसे भी उपरोक्त लोगों ने बदनियती से पकड़कर लातघूसों से मारपीट कर सीने पर हाथ चलाये, जिससे उसकी पत्नी के तीन चार ब्लाउज के बटन टूट गये और वह नंगी हो गयी। वह व उसकी पत्नी की चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपड़ोस के रूपदेई व पप्पू व अन्य लोग आ गये, जिनके ललकारने पर मुल्जिमान उसे व उसकी पत्नी को छोड़कर भाग गये और धमकी दी कि अगर कोई रिपोर्ट लिखवाई तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। घटना वाले दिन ही वह अपनी पत्नी को लेकर थाना जहानाबाद रिपोर्ट लिखाने गया तथा सारी घटना बतायी, किन्तु थाना पुलिस ने न ही उसकी रिपोर्ट लिखी, न ही मेडिकल कराया तथा उससे कह दिया कि हम जांच करायेंगे, परन्तु पुलिस गांव में जांच करने नहीं आयी और न ही मुल्जिमानों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जिस कारण उसने मजबूर होकर दिनांक 19.11.2016 को पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसने इससे पूर्व अपना प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.11.2016 156(3) सी.आर.पी.सी. जोकि न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) के यहां दिया जो कि क्षेत्राधिकार न होने के कारण दिनांक 11.01.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसकी कॉपी संलग्न है। परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2017 को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश पारित किया गया।

(3) मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा परिवाद पर जांच सम्पादित की गयी तथा परिवादी सुखलाल का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 अन्तर्गत रामवती व रूपदेई का बयान अभिलिखित किया और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 13.07.2018 को अभियुक्तगण सेवाराम, अन्नू व अरूण को अन्तर्गत धारा 452, 354, 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी एक्ट में विचारण हेतु आहूत किया गया।

(4) परिवादी द्वारा धारा 244 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत रामवती को पी.डब्लू. 1 व रूपदेई को पी.डब्लू. 2 के रूप में परीक्षित कराया गया। अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

(5) परिवादी की ओर से धारा 246 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी.डब्लू. 1 रामवती व पी.डब्लू. 2 रूपदेई को जिरह हेतु उपस्थित कराये गये, जिससे अभियुक्तगण की ओर से जिरह की गयी।

(6) अभियुक्तगण अन्नू व अरूण के विरूद्ध मेरे द्वारा दिनांक 24.11.2025 को अंतर्गत धारा 452, 354, 323, 506 व 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपित आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की याचना की गयी।

(7) परिवादी की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	रामवती		
2	पी.डब्लू. 2	रूपदेई	–	–

(8) अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने परिवाद कथानक को गलत बताया तथा अभियुक्तगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि वे निर्दोष हैं, उनको झूठा फंसाया गया है।

(9) परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पी.डब्लू. 1 व पी.डब्लू. 2 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में परिवाद कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण वे पक्षद्रोही घोषित हो गये है, परन्तु मात्र इस कारण से साक्षीगण के साक्ष्य को पूर्णरूप से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, अपितु साक्षीगण के साक्ष्य का वह अंश जो परिवाद कथानक को संबल प्रदान करता है, साक्ष्य में पूर्णरूप से ग्राह्य है। दौरान परिवाद सुखलाल की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण के परिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर परिवाद कथानक पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(10) बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण द्वारा परिवाद कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार परिवादी पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(11). मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

(12) अभियुक्तगण पर धारा 452, 354, 323, 506 व 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी0 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट अपराध के विषयक लगाये आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा परिवादी सुखलाल के आवासीय घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, उसकी पत्नी रामवती की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करने, साशय गंदी गंदी गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने एवं लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर उनको अपमानित किया गया है।

निष्कर्ष

(13) परिवादी द्वारा विपक्षीगण सेवाराम, अन्नू व अरूण के विरूद्ध परिवाद अन्तर्गत धारा– 452, 354, 323, 506 व 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी एक्ट प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि वह ग्राम हिमकरपुर थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत का निवासी है तथा वह अनुसूचित जाति धोबी जाति का व्यक्ति है। उसके घर के सामने गांव का एक मुख्य रास्ता है, जिसमें वह व उसके परिवार के लोग आते जाते है। उसके गांव के ही सेवाराम पुत्र गंगाराम, अन्नू, अरूण पुत्रगण सेवाराम जो कि उपरोक्त रास्ते पर अवैधानिक रूप से पक्का लिन्टर डलवाकर कमरा व लैट्रीन का निर्माण कर रास्ता बंद करना चाहते है तथा पूर्व में कई बार रास्ता बंद करने का प्रयास भी कर चुके है, जिसकी शिकायत उसके द्वारा गांव के प्रधान व संबंधित थाना पुलिस व पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से की गयी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच कर उक्त लोगों द्वारा जांच कर उक्त लोगों को उस जगह पर कब्जा न करने के निर्देश भी दिये गये थे। दिनांक 17.11.2016 समय करीब 11 बजे की घटना है कि वह अपने घर पर मौजूद था, तभी उपरोक्त मुल्जिमान एक राय होकर एकाएक उपरोक्त रास्ते पर रात में ही ईटे, रेता, बजरी, मंगाकर अवैध निर्माण करके शौचालय बनवाने लगे, जिससे विशेष रूप से उसके घर का आने जाने का रास्ता बंद हो रहा था। उसने निर्माण करने से मना किया, तभी उपरोक्त लोग एक राय होकर उसे जान से मारने की नियत से फावड़ा व लाठी डंडे लेकर मारपीट व गाली गलौज पर आमादा फसाद हो गये। वह झगड़े से जाने बचाकर अपने घ ार के अंदर भाग कर चला आया। उपरोक्त सभी मुल्जिमान उसके घर के अंदर घुस आये और जातिसूचक गालियां देते हुए बोले कि साले धुबट्टे तेरी इतनी हिम्मत की तू हम लोगों को लैट्रीन बनाने से रोक रहा है। सभी मुल्जिमान मारपीट करने लगे। उसकी पत्नी उसको बचाने आयी, तो उसे भी उपरोक्त लोगों ने बदनियती से पकड़कर लातघूसों से मारपीट कर सीने पर हाथ चलाये, जिससे उसकी पत्नी के तीन चार ब्लाउज के बटन टूट गये और वह नंगी हो गयी। वह व उसकी पत्नी की चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपड़ोस के रूपदेई व पप्पू व अन्य लोग आ गये, जिनके ललकारने पर मुल्जिमान उसे व उसकी पत्नी को छोड़कर भाग गये और धमकी दी कि अगर कोई रिपोर्ट लिखवाई तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। घटना वाले दिन ही वह अपनी पत्नी को लेकर थाना जहानाबाद रिपोर्ट लिखाने गया तथा सारी घटना बतायी, किन्तु थाना पुलिस ने न ही उसकी रिपोर्ट लिखी, न ही मेडिकल कराया तथा उससे कह दिया कि हम जांच करायेंगे, परन्तु पुलिस गांव में जांच करने नहीं आयी और न ही मुल्जिमानों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जिस कारण उसने मजबूर होकर दिनांक 19.11.2016 को पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसने इससे पूर्व अपना प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.11.2016 156(3) सी.आर.पी.सी. जोकि न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) के यहां दिया जो कि क्षेत्राधिकार न होने के कारण दिनांक 11.01.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसकी कॉपी संलग्न है।

(14) **पी.डब्लू. 1 श्रीमती रामवती** द्वारा अपने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि ''आज से करीब दस साल पहले मेरे पति सुखलाल और गांव के ही पड़ोसी अन्नू, सेवाराम, अरूण से कहासुनी हो गयी थी। इन लोगों ने मुझे तथा मेरे पति को जातिसूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया और न ही मेरे घ ार में घुसे थे। मेरे साथ छेड़खानी नहीं किये थे। मेरे व मेरे पति के साथ मारपीट नहीं किये थे और न ही जान से मारने की धमकी दी थी।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि ''यह कहना सही है कि इससे पहले मेरा बयान

हुआ था। गवाह को धारा 202 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि यह बयान मैंने अपने पति और लोगों के दबाव में आकर दिया था। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने मुझे व मेरे पति को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया है। यह भी कहना गलत है कि मेरे घर में घुसकर मारपीट करते हुए मेरे साथ छेड़खानी की है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिल जाने के कारण मैं सही बात नहीं बता रही हो।'' बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह निल की गयी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में धारा 202 सी.आर.पी.सी. का बयान अपने पति व लोगों के बहकावे में आकर देने बताया है तथा यह भी कथन किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव से भी इन्कार किया गया कि अभियुक्तगण ने उसे व उसके पति को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया हो तथा उसके घर में घुसकर मारपीट करते हुए उसके साथ छेड़ खानी की हो। यह साक्षी प्रस्तुत परिवाद की पीड़िता व चक्षुदर्शी साक्षी है। इस साक्षी द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में परिवाद कथानक के इतर व विपरीत कथन किये जाने से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

(15) **पी.डब्लू. 2 रूपदेई** ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद कथानक का समर्थन नहीं किया था बयान किया कि ''आज से करीब दस साल पहले मेरे पड़ोसी सुखलाल और अन्नू, अरूण और सेवाराम की जगह को लेकर कहासुनी हो गयी थी। अन्नू, अरूण और सेवाराम ने सुखलाल और उसकी पत्नी के साथ जातिसूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित नहीं किया था और न ही इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट किया था और न ही सुखलाल की पत्नी से छेड़खानी किया था और न ही इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि ''यह कहना सही है कि इससे पहले न्यायालय में मेरा बयान हुआ था। गवाह को धारा 202 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि यह बयान मैंने सुखलाल के बहकावे में आकर दे दिया था। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिलजाने के कारण सही बात न बता रही हूँ।'' बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह निल की गयी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में धारा 202 सी.आर.पी.सी. का बयान परिवादी के बहकावे में आकर देने बताया है तथा यह भी कथन किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इस साक्षी द्वारा भी अपने संपूर्ण साक्ष्य में परिवाद कथानक के इतर व विपरीत कथन किये जाने से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है। चूंकि प्रस्तुत मामले में परिवादी सुखलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या ख–17 से होती है।

(16) उपरोक्त विश्लेषण एवं बयानों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण अन्नू व अरूण के विरूद्ध परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप अन्तर्गत 452, 354, 323, 506 व 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी0 को संदेह से परे साबित नही किया है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने हकदार है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **रमेश हरिजन बनाम उ0प्र0 राज्य (2012) 5 एस0सी0सी0 पेज–777** में भी अवधारित किया गया है।

(17) उपरोक्त समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि परिवादी पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह

से परे साबित करने में नितान्त रूप से असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण अन्नू व अरूण को आरोपित अपराध अन्तर्गत 452, 354, 323, 506 व 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अन्नू व अरूण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 452, 354, 323, 506 व 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के निजी बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त कर प्रतिभूओं को दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्तगण धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल जमानते अगले छह माह तक लिए प्रभावी रहेंगे और अभियुक्तगण तथा उनके जामिनान उक्त जमानत से अबाध्य रहेंगे।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 07.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 07.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।